



HAMIRPUR POLICE



थाना कुरारा

दिनांक 21.03.2023

जिलाबदर अभियुक्त अवैध तमंचा/कारतूस सहित गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 21.03.2023 को थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/ वाहनो की चेकिंग के दौरान जिलाबदर अभियुक्त सलमान खान पुत्र शौकत अली (उम्र करीब 27 वर्ष) मोहल्ला कांशीराम कालोनी बांकी रोड कस्बा व थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर को इमिलिया थोक एक अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सुमेरपुर में मु0अ0सं0-139/23, धारा-10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम व 3/25 आर्म एक्ट थाना सुमेरपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

आपराधिक इतिहास-

- 1) मु0अ0सं0-156/15 धारा-143/186/188/341/ 353 आईपीसी व 7 CLA Act
- 2) मु0अ0सं0-1563/15, धारा-147/302 आईपीसी
- 3) मु0अ0सं0-352/16, धारा-332/353/504/323/120B आईपीसी
- 4) मु0अ0सं0-432/16, धारा-3/25 आर्म एक्ट
- 5) मु0अ0सं0-21/17, धारा-3/25 आर्म एक्ट
- 6) मु0अ0सं0-22/17, धारा-10 UP गुण्डा एक्ट
- 7) मु0अ0सं0-85/22, धारा-323/504/506 आईपीसी
- 8) मु0अ0सं0-09/22, धारा-3 यू0पी0 गुण्डा

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1) उ0नि0 प्रेमचन्द्र राम
- 2) का0 अजय कुमार सोनकर

